

3441219/12

315
4-3-17

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना का निरीक्षण दिनांक 09.03.2017 का निरीक्षण प्रतिवेदन

जल संसाधन संभाग, मुलताई के अन्तर्गत पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के बांध स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे:-

- 1- श्री बी.एस.धुर्वे, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद।
- 2- श्री पी.के.वर्मा, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, बैतूल।
- 3- श्री जी.पी.सिलावट, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई।
- 4- श्री एस.के.सिरसाम, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, प्रभातपट्टन।
- 5- श्री एस.के.संतूरे, सहायक अनुसंधान अधिकारी, गुण नियंत्रण इकाई बैतूल।
- 6- श्री एस.के.नागले, उपयंत्री एवं श्री सी.बी.पाठेकर उपयंत्री
- 7- मेसर्स करन सिंह KDSPL ग्वालियर।

निरीक्षण के दौरान के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देश दिये दिये गये :-

(1) आर.डी. 45 मी. से 380 मी. पर बांयी तट मिट्टी बांध स्थल में COT की भराई का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया है। कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया कि भू-अर्जन विवाद के कारण इस किनारे (Flank) पर स्थानीय कृषकों ने काय बंद करवा दिया है। निर्देशित किया गया कि कृषकों की भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि ठेकेदार कार्य प्रारंभ करवा सके। इस बाबत आवश्यकतानुसार कलेक्टर से सम्पर्क भी करें।

(2) आर.डी. 1170 मी. से 1580 मी. पर दांयी तट मिट्टी बांध स्थल का निरीक्षण किया गया। आर.डी.1470 मी. में Hearting एवं Filter कार्य का भी निरीक्षण किया गया। अपस्ट्रीम पर आर.डी. 1360 मी. में Casing बाबत ठेकेदार द्वारा बताया गया कि ऊपर की Loose layer छोड़ी गयी है। इस स्थल पर JCB से 1-1.25 मी. गहरा गड्ढा कराया गया। पाया गया कि यह सतह पूर्णतः Loose है। अतः समस्त को आर.डी. 1200 मी. से 1580 मी. में Loose layer को 1 मी. गहराई तक हटाकर पुनः गुणवत्तापूर्ण एवं मापदण्डों के अनुसार कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। अधीक्षण यंत्री को उक्त कार्य के पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित 10 दिवस में भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) कार्यपालन यंत्री बांध के डूब क्षेत्र में बिजली लाईन को हटाने की कार्यवाही शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

(4) आर.डी. 1170 मी पर COT की खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। जहाँ पर COT में अच्छी चट्टान आने के कारण मुख्य अभियंता द्वारा COT का Foundation level verify स्वीकृत किया जाना बताया गया। Curtain Grouting भी की जाने बाबत अवगत कराया गया। निर्देश किये गये कि मध्यम बांध परियोजना होने के कारण इसकी Foundation

Runi

मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित करायी जावे तथा Geologist के द्वारा नियमित अन्तराल पर Visit करवाई जाकर विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जावे।

(5) बांध के अपस्ट्रीम में खुदाई से प्राप्त अनुपयोगी मटेरियल नहीं डाला जावे। इसी प्रकार स्पिलवे के डाउन स्ट्रीम में प्रवाह के रास्ते में भी Dumping नहीं की जावे। वस्तुतः Excavated Material के One time Dumping हेतु सुव्यवस्थित कार्य योजना बनाकर अमल किया जावे।

(6) Double leveling से Bench mark shift करते हुये कार्यस्थल पर Standard Bench mark बनवाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक 300-400 मी. पर Temporary Bench mark भी बनवायी जावे।

(7) कार्यपालन यंत्री साइट पर आवश्यक सभी Register संभाग स्तर से Issue करना सुनिश्चित करें।

(8) Construction Drawing Approve कराना सुनिश्चित करें।

(9) ठेकेदार द्वारा निरीक्षण गृह का निर्माण किया जाकर विभाग को उपलब्ध करायें।

मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना का कार्य समयबद्ध तरीके से समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु एक निश्चित कार्य योजना बनायी जावे एवं अधीक्षण यंत्री स्तर पर इसकी प्रति सप्ताह मानिट्रिंग करना सुनिश्चित की जावे।

यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुये ठेकेदार द्वारा निर्माण के दौरान लगने वाले पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें।

कार्यस्थल पर समस्त अभिलेख यथा- अनुबंध की प्रति, स्वीकृत ड्राइंग, रजिस्टर, एम. बी. प्रोफाईल, रजिस्टर आदि उपलब्ध रहें।

उक्त के अतिरिक्त ठेकेदार एवं मैदानी अधिकारियों को सम्यक् रूप से निर्देश दिये गये कि समस्त कार्य के सम्पादन में गति के साथ-साथ निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता का संधारण सुनिश्चित किया जावे।

परियोजना से प्रभावित 2 ग्राम देवडोंगरी एवं बोरगाँव के विस्थापित हो रहे परिवारों हेतु भी आर एण्ड आर की व्यवस्था वर्षाकाल के पूर्व पूर्ण कर ली जावे।

Ramvir 11/3/17
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 3441298/12

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2017

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद ।
- 3- अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, बैतूल ।
- 4- अधीक्षण यंत्री (वृहद), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 5- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

- 6- बैव मैनेजर, कार्यालय विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल की ओर बैव साईट में प्रदर्शित करने हेतु अग्रेषित ।

Ramini 11/3/17
 (राजीव कुमार सुकलीकर)
 प्रमुख अभियंता
 जल संसाधन विभाग, भोपाल

12
 14/3/017